जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी- 949 दिनांकः 15/11/06

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 54 वीं बैठक दिनांक 09–11–2006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा सं0	प्रकरण	निर्णय	अनुपालना
1.	54.1	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 53 वीं बैठक दिनांक 26–08–2006 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	
2.	54.2	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 53 वीं बैठक दिनांक 26–8–2006 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	समिति द्वारा कियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3	54.3	भूखण्ड संख्या–22 शुभम एनक्लेव के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण निजी आवास का है अतः पार्किंग सर्मपण की आवश्यकता नहीं है।	
4	54.4	भूखण्ड संख्या– 1 डी, झालाणा डूँगरी, जयपुर में प्रस्तावित डीएपी कार्यालय के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित डीएपी कार्यालय के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
5	54.5	भूखण्ड संख्या–8, सिविल लाइन्स, जयपुर में आयकर विभाग के आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध मे।	मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार विमर्श किया गया और उनके द्वारा प्रस्तुत निवेदन के मद्देनजर बिना अनुमति निर्माण की शास्ति 17,04,780/– को माफ करने बाबत् प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि निर्माण आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों हेतु किया गया था व बजट की समय सीमा खत्म होने के कारण निर्माण हरी पत्रावली प्रस्तुत करने के बाद किया गया था।	
6	54.6	जी.ई. केपीटल इन्वेस्टमेंट के जे.एल. एन. मार्ग पर स्थित भवन हेतु अधिवास प्रमाण	समिति द्वारा वाद विचार विमर्श भवन विनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।	

		पत्र जारी करने बाबत्।		
7	54.7	भूखण्ड संख्या–1 व 2, बिन्दायका न. 1, मालवीय नगर, जयपुर में पेट्रोल पम्प के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित पेट्रोल पम्प भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
8	54.8	भूखण्ड संख्या–5, इन्दिरा पैलेस मालवीय नगर जयपुर पर प्रस्तावित पार्किंग सह व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र नियमित करने बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये:– 1. भवन विनियम 2000 के अनुसार लिफ्ट, शाफ्ट, कोरीडोर, सीढियों इत्यादि क्षेत्रों को व्यावसायिक क्षेत्र की गणना में सम्मलित नहीं किया जावे। 2. प्रार्थी द्वारा 30 मी. ऊँचाई दिये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया गया क्योंकि प्रश्नगत भूखण्ड जे.एल.एन. मार्ग पर स्थित नहीं है। 3. नीलामी की शर्तो के अनुसार प्रश्नगत परिसर में 500 ई.सी.यू. की पार्किंग का प्रस्ताव था और जारी अनुमोदित मानचित्र 501 ई.सी.यू. के थे परन्तु मौके पर अपर व लोअर बेसमेंट मे पार्किंग प्रस्तावित है उस में 2 स्थलों पर मैकेनिकल वातायन के लिये फैन रूम प्रस्तावित हैं जिसके कारण 500 ई.सी.यू. के स्थान पर 493 ई.सी.यू. ही उपलब्ध होते हैं। अतः फैन रूम की आवश्यकता के मद्देनजर वाद विचार विमर्श 493 ई. सी.यू. को 500 ईसीयू के स्थान पर उचित माना गया। 4. भवन के पूर्वी द्वार के निकट का क्षेत्र जो पार्किंग रैम्प से ढका हुआ है उसे ओपन टू स्काई मानते हुए ग्राउण्ड कवरेज में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि व्यावसायिक तलों (भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तलों) में उस क्षेत्र के ऊपर किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है और उस क्षेत्र का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है जिस प्रकार से भवन के दक्षिण में स्थित रेम्प के नीचे का खुला क्षेत्र ग्राउण्ड कव्रंज में शामिल नहीं किया गया है। 5. भूतल विनियम 2000 के अनुसार ओपन टू स्काई क्षेत्र में रखे कियोस्क लकडी के बने अस्थाई चलायमान ढॉचे हैं जिन्हें फाइबर शीट से कवर किया गया है। उससे ओपन टू स्काई क्षेत्र की गणना में कोई प्रभाव नहीं पडता अतः उनका क्षेत्रफल ग्राउण्ड कवरेज में शामिल न करके व्यावसायिक क्षेत्र में शामिल किया जाए। 6. प्रार्थी का शेष एफएआर हेतु कोई अतिरिक्त मंजिल	

			अनुज्ञेय नहीं होगी। यदि वर्तमान मंजिलों पर भवन विनियमानुसर कोई क्षेत्र है तो उसमें शेष एफएआर समाहित किया जा सकेगा। शेष एफएआर पेण्डिग रखा जावे।	
9	54.9	भूखण्ड संख्या–7–बी, सेक्टर–7, विद्याधर नगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित किये जाने बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग लेते हुए प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
10	54.10	भूखण्ड संख्या–7–ई, सेक्टर,–7 विद्याधर नगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित किये जाने बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग लेते हुए प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
11	54.11	भूखण्ड संख्या–डी–2, सेक्टर–2 विद्याधर नगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	विद्याधर नगर की बिल्डिंग लाइन व कन्ट्रोल शीट के अनुसार के मध्यनजर प्रार्थी के स्टिल्ट के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया । अतः खुले क्षेत्र में अथवा बेसमेंट में आवश्यक पार्किंग प्रावधानित करवाई जाकर प्रार्थी से संशोधित मानचित्र लेते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
12	54.12	भूखण्ड संख्या–6, सुभाष नगर विज्ञान पार्क के पास, जयपुर में होटल के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण में वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया– 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग जविप्रा के पक्ष में प्रार्थी द्वारा समर्पित करवाये जाने हेतु समपर्णनामा हेतु अण्डरटेकिंग लिया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
13	54.13	भूखण्ड संख्या–6, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर में ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण में वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया– 1. अपर बेसमेन्ट व लोअर बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग जविप्रा के पक्ष में प्रार्थी द्वारा समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा हेतु अण्डरटेकिंग लिया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। 4. प्रस्तावित मानचित्रों में अपर बेसमेंट से लोअर बेसमेंट	

			में जाने के लिए प्रस्तावित कवर्ड रैम्प को अनुज्ञेय किया गया। साइड सेटवेक में पम्प रूम व वाटर टैंक अनुज्ञेय किये गये। साइड सेटबेक में प्रस्तावित एसटीपी की स्वीकृति भी दी गयी क्योंकि पम्परूम से संबंधित एक्टीविटी है।	
14	54.14	भूखण्ड संख्या–5 व 6, एयर पोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर के पुर्नगठन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ पुर्नगठन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:– भूखण्ड संख्या 5 व 6 में नीलामी के समय जो आच्छादन क्षेत्र था पुनर्गठित भूखण्ड में भी अधिकतम आच्छादित क्षेत्र तदनुसार ही रहेगा।	
15	54.15	भूखण्ड संख्या–एस.पी. 6/381ए, चित्रकूट योजना, अजमेंर रोड, पर प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जोन–7 ने बताया कि प्रश्नगत भूखण्ड नियमन का है अतः वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन आवास हेतु किया गया है अतः 1.2 एफएआर ही अनुज्ञेय है परन्तु भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी 1.80 एफएआर चाहता है तो अन्तर एफएआर (1.80–1.20=0.60) अंतर एफएआर का शुल्क निदेशक वित्त के स्तर पर तय करवा कर प्रार्थी से लिया जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 4. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
16	54.16	भूखण्ड संख्या–ए, ख.नं0 722, 723, ग्राम सिरसी सिरसी रोड़ पर आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बांबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे। 4. बेसमेंट में घरेलू स्टोर दिये जाने के प्रार्थी के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। भवन विनियम 2000 की धारा 81.10(ख)(ix) के अनुसार अनुज्ञेय 3 प्रतिशत	

			स्टोर फ्लेट्स के साथ ही अनुज्ञेय किये जावें। 5. भूखण्ड संख्या अ और ब में आने जाने के लिए सेक्टर रोड के नीचे से प्रार्थी द्वारा जो सब वे का प्रस्ताव दिया गया है उसे निम्नांकित शर्तो के साथ अनुज्ञेय किया जावेः– अ. तकनीकी मानदंड जविप्रा द्वारा निर्धारित किया जावे। ब. निर्माण जविप्रा द्वारा किया जावेगा स. स्वामित्व जविप्रा का रहेगा। द. समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा सबवे के दोनों और रोड के दोनों तरफ से सिढियाँ इस तरह प्रस्तावित की जावेगी कि फ्लेट्स में रहने वाले लोगों के अतिरिक्त आम जनता भी इसका उपयोग कर सके। प्रार्थी कम्पनी जॉय सिंडीकेंट के निदेशक श्री राजेश गोयल कोक सुना गया और उनके द्वारा सब वे उनके स्वयं के खर्चे से बनाये जाने की सहमति दी गई।	
17	54.17	भूखण्ड संख्या–बी, ख.न. 722, 825 एवं 826 ग्राम सिरसी, सिरसी रोड पर आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे। 4. बेसमेंट में घरेलू स्टोर दिये जाने के प्रार्थी के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। भवन विनियम 2000 की धारा 81.10(ख)(ix) के अनुसार अनुज्ञेय 3 प्रतिशत स्टोर फ्लेट्स के साथ ही अनुज्ञेय किये जावें। 5. भूखण्ड संख्या अ और ब में आने जाने के लिए सेक्टर रोड के नीचे से प्रार्थी द्वारा जो सब वे का प्रस्ताव दिया गया है उसे निम्नांकित शर्तो के साथ अनुज्ञेय किया जावेः– अ. तकनीकी मानदंड जविप्रा द्वारा निर्धारित किया जावे। ब. निर्माण जविप्रा द्वारा किया जावेगा स. स्वामित्व जविप्रा का रहेगा।	

			द. समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा सबवे के दोनों और रोड के दोनों तरफ से सिढियाँ इस तरह प्रस्तावित की जावेगी कि फ्लेट्स में रहने वाले लोगों के अतिरिक्त आम जनता भी इसका उपयोग कर सके।	
18	54.18	भूखण्ड संख्या– जी. एच.–4, लोट्स विला, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा आरक्षित दर की निदेशक वित्त से पुष्टि करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण में विचार विमर्श का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।	
19	54.19	भूखण्ड संख्या– जी.एच.–5, लोट्स विला, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा आरक्षित दर की निदेशक वित्त से पुष्टि करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण में विचार विमर्श का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।	
20	54.20	भूखण्ड संख्या– जी.एच.–6, लोट्स विला, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जान–9 द्वारा आरक्षित दर की निदेशक वित्त से पुष्टि करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण में विचार विमर्श का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।	
21	54.21	भूखण्ड संख्या– जी.एच.–9, लोट्स विला, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा आरक्षित दर की निदेशक वित्त से पुष्टि करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण में विचार विमर्श का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।	
22	54.22	भूखण्ड संख्या– जी.एच.–12, लोट्स विला, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा आरक्षित दर की निदेशक वित्त से पुष्टि करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण में विचार विमर्श का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।	
23	54.23	ख.न. 831/743, ग्रम महल, जगतपुरा में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानिचत्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
24	54.24	खसरा नम्बर 367, ग्राम चक सुदर्शनपुरा, लालकोठी योजना में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानिचत्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन आवास हेतु किया गया है अतः 1.2 एफएआर ही अनुज्ञेय है परन्तु भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी 1.67 एफएआर चाहता है	

			तो अन्तर एफएआर (1.67–1.20=0.47) अंतर एफएआर का शुल्क निदेशक वित्त के स्तर पर तय करवा कर प्रार्थी से लिया जावे। 2. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 3. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 4. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे। 5. 80' चौडी सडक व 30' चौडी सडक विस्तार हेतु समर्पित भूमि का कोई एफएआर का लाभ नहीं दिया जावेगा।	
25	54.25	पुनर्गठित भुखण्ड संख्या डी–61 व 62 श्याम नगर योजना के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श भवन विनियम 2000 के अनुसार अग्र सेटबेक 25 फुट रखते हुए संशोधित मानचित्र लेकर अनुमोदित कर जारी किया जावे।	
26	54.26	भूखण्ड संख्या –एफ–2, वैशाली नगर में संस्थागत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
27	54.27	भूखण्ड संख्या एस–9, मोहन नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
28	54.28	भूखण्ड संख्या एस–9, मोहन नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
29	54.29	खसरा संख्या 33 पार्ट निजी खातेदारी बीड खातीपुरा आफीसर्स कैम्पस के आववासीय फ्लेट्स भवन	प्रकरण पर समिति द्वारा वाद विचार विमर्श प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	

		मानचित्र अनुमोदन बाबत्।		
30	54.30	भूखण्ड संख्या–1, खसरा संख्या–300 (मिन) ग्राम रामनगरिया जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
31	54.31	खसरा संख्या – 186/306, 186/307 ग्राम टोडी रमजानीपुरा, तहसील सांगानेर, जगतपुरा जयपुर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे।	
32	54.32	भूखण्ड संख्या–8 मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
33	54.33	भूखण्ड संख्या–ए, गोरधन बाडी, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट मेंप्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे। 4. भूखण्ड के सामने झोटवाडा खातीपुरा रोड मौके पर 88 फीट है परन्तु मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट है। अतः प्रार्थी से सडक की चौडाई बढाने हेतु 6 फीट चौडी भूमि निशुल्क समर्पित करवाई जावे। और जोन द्वारा इसका कब्जा लिया जावे।	
4	54.34	500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में निर्माण की	<u>नीतीगत निर्णय</u> वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि 500 वर्ग मीटर	

		स्वीकृति देने के संबंध में।	तक के भूखण्डों में 8 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन प्रस्तावित करने पर जोन द्वारा 8 मीटर तक की स्वीकृति जारी की जावेगी, तत्पश्चात् जोन द्वारा स्थल मानचित्र निरीक्षण किया जाकर सुनिश्चित किया जावेगा कि फ्लैट्स का निर्माण नहीं किया जा रहा है उसके पश्चात् ही 8 मीटर से अधिक की स्वीकृति जारी की जावेगी।	
35	54.35	भूखण्ड संख्या 64 मरूधर अजमेर रोड जयपुर	वाद विचार विमर्श पूर्व बैठक दिनांक 26.08.2006 में लिये गये निर्णय को ही यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।	
36	54.36	भूखण्ड संख्या–231, 232 रामनगरिया, तहसील सांगानेर में फ्लेटस के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेंकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लिये जावें। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर से पार्किंग बाबत् अनापत्ति ली जावे। 4. भखण्ड के बीच में से 11 के.वी. की एच.टी. लाइन गुजर रही है। अतः 11 केवी की एच.टी. लाइन हटने के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

15/11/06

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी)
जविप्रा, जयपुर।

121

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 54वीं बैठक दिनांक 09.112006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री वीरू सिंह राठौड, विधायक	सदस्य
3.	माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक	सदस्य
4	श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ज्ञानाराम, अति. आयुक्त, भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
8.	श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद, उपायुक्त जोन–2 जविप्रा जयपुर।
3. श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–7 जविप्रा जयपुर।
4. श्रीमती रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा जयपुर।
5. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन–9 जविप्रा जयपुर।
6. श्री अनन्त देव टॉक, उप नगर नियोजक–1, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

15/11/06.
सदस्य सचिव(बीपीसी)

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी– 949 दिनांक : 15/11/06

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री बीरू सिंह राठौड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी., जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन .... जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

15/11/06.
सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा,जयपुर।